सत्यमेव जयते

नया राजस्थान

जनकल्याणकारी योजनाएं

"जब हम प्रगति की बात करते हैं तो उसका अर्थ समावेशी विकास एवं सबके हित में निहित होता है। हम जब योजना बनाते हैं तब विकास का मतलब उस आम आदमी तक लाभ पहुँचाना होता है जो अपने लिए घर नहीं बना सकता, अपने प्रियजन के इलाज का खर्च नहीं उठा सकता या फिर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने में स्वयं को अक्षम पाता है। इसीलिए हमने पहली बार खाद्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, ऋण ब्याज मुक्ति और पशु स्वास्थ्य सुरक्षा की पन्द्रह फ्लैगशिप योजनाएं लागू की हैं, जो जिंदगी की राह को आसान बना रही हैं।"

– अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं
स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम

लोकप्रिय एवं जनहितैषी मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा जन साधारण के जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से, अपनी महत्त्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष बल देते हुए, उन्हें 'स्टेट फ्लैगशिप योजनाओं' के रूप में चिन्हित किया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से समावेशी विकास की अवधारणा सुनिश्चित हुई है, जिससे समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों को राहत मिली है।

- **मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना :** 10 मई, 2010 से लागू इस योजना के तहत 2 रुपये प्रतिकिलो की दर से लगभग 38.83 लाख (एएवाई सहित) गरीब परिवारों को प्रतिमाह 25 किलो गेहूँ मिलना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना हेतु लगभग 350 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना की गई है। इस योजना में वर्ष 2013–14 से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के संचालन पर आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपये का प्रावधान। राज ब्रांड आटे की दर घटाकर 5 रुपये प्रतिकिलो करने की घोषणा की गई ।
- **मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना :** इस योजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल में 400–450, जिला अस्पताल में 325–400, सी.एच.सी. में 150–250, पी.एच.सी. में 100–150 एवं उप केन्द्र में 20–30 दवाइयां, सर्जिकल्स एवं सूचर्स नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह योजना 2 अक्टूबर, 2011 से लागू। प्रारम्भ से अब तक 9 करोड़ रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य का यह प्रयास अत्यन्त लोकप्रिय होने के साथ अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बना है। 7 अप्रेल, 2013 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक सामान्य जाँचे भी नि:शुल्क सुलभ कराई जाएंगी। वर्ष 2013–14 में नि:शुल्क दवा योजना एवं नि:शुल्क जाँच योजना के संचालन हेतु चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, लैब टेक्नीशियनों एवं एएनएम के 20 हजार पद सृजित किये जाएंगे।
- **राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना :** योजनान्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को आवश्यकता होने पर (30 दिवस तक) सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की नि:शुल्क सेवाएँ एवं परिवहन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे संस्थागत प्रसव 71 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया है। इस योजना में अब तक 11.2 लाख महिलाएं एवं 3.38 लाख नवजात शिशु लाभान्वित।
- **मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष** से BPL वर्गों के मरीजों के लिए असीमित आर्थिक सहायता। 30 अतिरिक्त वर्गों योजना के दायरे में सम्मिलित। 150 करोड़ रुपये व्यय से 1 करोड़ 44 लाख रोगी लाभान्वित। **मुख्यमंत्री सहायता कोष** से ऐसे गरीबों जो गैर बीपीएल हैं एवं जिनकी वार्षिक आय 60 हजार है (24 हजार से बढ़ाया गया) को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम रुपये 60,000 की मदद। 125.6 करोड़ रुपये व्यय से 46 हजार लाभान्वित। दुर्घटना में मृत्यु होने पर वर्तमान में मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराई जा रही 20 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया।
- **मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना :** राज्य के 5.67 करोड़ पशुधन (1.21 करोड़ गायें, 1.11 करोड़ भैंस, 2.15 करोड़ भेड़ एवं बकरियां, 4.22 लाख ऊंट इत्यादि) के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की तर्ज़ पर 15 अगस्त, 2012 से मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में लागू कर दी गई है। जिससे पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 43 आवश्यक दवाइयाँ नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। निकट भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 87 आवश्यक दवाइयाँ एवं 13 अतिरिक्त सहायक सामग्री कर दी जाएगी। अब तक 18.58 करोड़ रुपये व्यय करके 70.31 लाख पशुओं का उपचार किया गया है। प्रत्येक तहसील में एक–एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन कर पशुपालकों को उनके घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की जाएगी। वर्ष 2013–14 में इस योजना की सफलता को देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों की संख्या को बढाकर 110 किया जाएगा।
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना :** योजना में गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए तीन वर्षों में इन्दिरा आवास योजना को सम्मिलित करते हुए 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 3400 करोड़ रुपये का ऋण लिया जा रहा है। राज्य की स्वयं के स्रोतों पर आधारित यह अब तक की सर्व वृहद् योजना के प्रथम चरण में 96,203 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 1,69,497 आवासों का निर्माण कार्य पूर्णता के अन्तिम चरण में है। द्वितीय वर्ष में 2 लाख आवासों के लक्ष्य के विपरीत 1,92,463 की स्वीकृतियां जारी। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सभी पात्र परिवार, से सभी अनुसूचित जाति के लिए 50 हजार रुपये (टायलेट हेतु 9100 रुपये अलग) का अनुदान। शेष बीपीएल के लिए 45 हजार रुपये (टायलेट हेतु 9100 रुपये अलग)। इसके अतिरिक्त 1,71,240 आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत पूर्ण किया गया है
  मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में तृतीय चरण में लक्षित 2 लाख आवासों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता की दर को बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति इकाई निर्धारित करने की घोषणा।
- **मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना :** मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में ग़रीबजन के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए लागू इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष एक लाख बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह पूरे देश में एक विशिष्ट पहल है। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख दस हजार प्रशासनिक स्वीकृतियां व 51 हजार वित्तीय स्वीकृतियां जारी। 23–24 मार्च, 2013 को लाभान्वितों को प्रथम किस्त का विभिन्न नगर निकायों में समारोहपूर्वक वितरण । प्रथम किस्त की राशि 20 हजार रुपये तथा शौचालय निर्माण की राशि 5 हजार रुपये सहित 25 हजार रुपये का चैक प्रदत्त।
  प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित तथा सामाजिक दंगों आदि से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु **राजस्थान विशेष आवास योजना** 31 अगस्त, 2012 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मकान के पुनर्निर्माण हेतु 55,000 रुपये (शौचालय के निर्माण सहित) एवं

मरम्मत हेतु 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है।

- **अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी :** इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लिए आवासों की कमी को दूर करना तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कम लागत पर कुल 5 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। अब तक कुल 30,141 इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है एवं 46,615 मकानों का निर्माण प्रगतिरत है।
- **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011 :** इस अधिनियम के अन्तर्गत आम जनता से जुड़े 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारन्टी दी गई है। अधिनियम के लागू होने की तारिख14 नवम्बर, 2011 से अब तक 112 लाख 53 हजार प्रकरणों में समयबद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- **सुनवाई का अधिकार–2012 :** भारत में पहली बार नागरिकों को सुनवाई का अधिकार राजस्थान द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 लाया जाकर प्रदान किया गया। प्रत्येक पंजीकृत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 15 दिन में करनी होगी तथा 7 दिवस में परिणामों की लिखित सूचना देनी होगी। सलाह केन्द्र एवं अपील का प्रावधान इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसे 1 अगस्त, 2012 में लागू कर दिया गया है। इससे राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 अधिक सशक्त होगा। अब तक 4611 प्रकरण दर्ज हुए हैं एवं 4156 प्रकरण निस्तारित किए गए।
- **मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना :** काश्तकारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेकर समय पर ऋण चुकाने पर 1 लाख रुपये के सहकारी बैंकों के फसली ऋण को ब्याज मुक्त करने के लिए राज्य सरकार लगभग 262.5 करोड़ रुपये का अनुदान इस वर्ष देगी। यह योजना 01 अप्रेल, 2012 से लागू की गई। इस फसली मौसम में लगभग 10,500 करोड़ रुपये के ऋण 26 लाख काश्तकारों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब तक 22.48 लाख किसानों को 7,935 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2013–14 में 15 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य। एक लाख 50 हजार रुपये के फसली ऋण ब्याज मुक्त।
- **राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना :** यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में राज्य में शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार, प्रथम 10–10 हजार बालक–बालिकाओं एवं प्रदेश के समस्त 35 हजार 819 राजकीय विद्यालयों में, आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 'लैपटॉप' पुरस्कार के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 55,819 विद्यार्थियो को 14 इन्च साइज का लैपटॉप 165 करोड़ व्यय कर उपलब्ध कराए जाएंगे। राजकीय विश्वविद्यालयों में संकाय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 1,000 लेपटॉप दिए जाएंगे। इस योजना को आगामी वर्षों में निरन्तर जारी रखने का निर्णय। योजना हेतु लेपटॉप क्रय करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।
- **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा एक लाख छात्रवृत्ति योजना :** यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार (जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है) के राजस्थान बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की मेरिट लिस्ट के एक लाख प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति 5 वर्षों तक अथवा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का कोर्स पूर्ण होने तक दी जाएगी। छात्रवृत्ति अधिकतम 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी के खाते में जमा की जाएगी।
- **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना :** राज्य में व कुल 3 लाख व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राज्य में 38 निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 667 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस हेतु 150 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में स्वयं का रोजगार स्थापित करने हुतु 2 लाख रोजगार किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। 10 हजार युवाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से ड्राइविंग एवं मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
- **राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास योजना :** राज्य में पहली बार 250 से 500 तक की आबादी के लगभग 2900 गांवों को पक्की डामर सड़क से जोड़ने के लिए नाबार्ड से ऋण आधारित व्यवस्था के साथ 3,302 किलोमिटर सड़क निर्माण कर प्रथम चरण में 1500 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस हेतु 832 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वृहद् विकास परियोजनाएं

- **जयपुर मैट्रो :** जयपुर मैट्रो की कुल अनुमानित लागत 9732 करोड़ रुपये हैं। परियोजना के दो चरणो में से मानसरोवर से चांदपोल तक के 9.7 कि.मी. के 3149 करोड़ रुपये की लागत के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। इसे जुलाई, 2013 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- **धार्मिक स्थलों तक सड़क :** धार्मिक महत्व की 1 हजार 700 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के कार्य पूर्ण कर लिये गये है, जिनसे 624 धार्मिक स्थलों पर जाने वाले दर्शनार्थियों को सुविधा होगी।
- **रतलाम से डूंगरपुर रेलवे लाइन :** इस महत्त्वाकांक्षी रेल परियोजना के तहत 176 किलोमीटर रेल मार्ग के निर्माण पर 2,083 करोड़ रुपये खर्च होंगे। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसी वृहद् रेल परियोजना के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत व भूमि उपलब्ध कराई (1200 करोड़ रुपये) जा रही है। राज्य सरकार के हिस्से की 200 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त रेलवे में जमा करा दी गई है।
- **जयपुर शहर की घाट की गूणी परियोजना :** 150 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में घाट की गूणी में सुरंग बनाई जाकर आवागमन प्रारम्भ।
- **सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युतगृह :** राज्य में पहली बार 2×660 मेगावाट क्षमता के 6 सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युतगृहों की स्थापना सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध एवं बांसवाड़ा में की जाने की स्वीकृति दी गई। इस हेतु भूमि एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है ।
- **सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वर्णिम विकास :** जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन एवं अन्य योजनाओं में अब तक 915 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। अब तक 276 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। आगामी वर्ष में 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एक लाख से ज्यादा सोलर

घरेलू प्रकाश संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में भड़ला, जोधपुर में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है।

पेयजल परियोजनाएं

- **बाड़मेर लिफ्ट परियोजना :** 688 करोड़ रुपये की बाड़मेर पेयजल परियोजना का लोकार्पण। बाड़मेर शहर के 691 गांवों को पेयजल आपूर्ति।
- 6000 करोड़ रुपये की 39 पेयजल परियोजनाओं का काम समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार आगामी 3 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य। 3200 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ। **भीलवाड़ा में चम्बल का पानी** उपलब्ध कराने के लिए 728 करोड़ रुपये की योजना में कार्य प्रारम्भ। **नागौर जिले की नावां तहसील, नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय व चम्बल से बूंदी शहर की पेयजल योजना** पर कार्य प्रारम्भ। **इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से नागौर पेयजल परियोजना** के लिए 2938 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत।
- **32,554 गांव व ढाणियों** एवं **7,612 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों** को निर्धारित पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ।
- जालोर जिले की **सांचौर बागौड़ा, सायला, जालोर एवं आहोर तहसील के समस्याग्रस्त 281 गाँवों** को, नर्मदा एफआर वृहद परियोजना से लाभान्वित करने हेतु, **325 करोड़ रुपये लागत की परियोजना।**
- इंदिरा गाँधी नहर से **पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाणा परियोजना** के अंतर्गत बाड़मेर जिले के **बायतु, पचपदरा, सिवाणा, गुड़ामालानी एवं शिव तहसीलों के, 403 समस्याग्रस्त गाँवों** हेतु, **485 करोड़ रुपये की परियोजना।**
- बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के 322 समस्याग्रस्त गाँवों को, नर्मदा नहर की एलएल एवं एलयू से आरडी-74 से लाभान्वित करने की, 540 करोड़ रुपये की परियोजना। इसके साथ ही समस्योग्रस्त गाँवों को जोड़ने की 490 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना।

नियुक्तियां एवं पदोन्नति

- राज्य के शिक्षित युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पक्की नौकरी का अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में अब तक 1,43,731 पदों पर नियुक्तियां दी गई है। बजट 2012-13 में 1,04,000 और पदों पर भर्ती का प्रावधान किया गया है।
- 76 हजार से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति देकर लाभान्वित किया गया।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2013

- अभियान के 10 जनवरी, 2013 प्रारम्भ होने से 20 फरवरी तक आयोजित 7867 शिविरों के माध्यम से कुल 1,21,60,963 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। शिविरों में 4,34,279 नामान्तरकरण खोले एवं तस्दीक किए गए, 21,637 गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार दिए गए। कृषि परियोजना हेतु 9,832 व्यक्तियों को 3494.6428 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।

प्रशासन शहरों के संग अभियान - 2012-13

- अभियान के 21 नवम्बर, 2012 प्रारम्भ होने से 20 मार्च, 2013 तक 15 लाख शहरी नागरिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित। कुल 2,47,146 प्रकरणों का निस्तारण। 2,00,121 कृषि भूमि नियमन के पट्टे, 29,530 स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत तथा 28,156 कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे जारी। 576 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित।

बजट 2013-14 की प्रमुख घोषणाएं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए

- बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं समकक्ष सुविधा प्राप्त कर रहे परिवारों की सभी महिलाओं को 2-2 साड़ियां एवं पुरुषों को 1-1 कम्बल। सामान्य जाति के युवक-युवती द्वारा अनुसूचित जाति में विवाह करने पर 5 लाख रुपये। अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावासों एवं अन्य संस्थानों हेतु प्रतिमाह देय मैस भत्ते की दरों में वृद्धि, 1250 रुपये से 1750 रुपये। 'पालनहार योजना' के अंतर्गत सहायता राशि, 675 से बढ़ाकर 1000 रुपये।
- 1000 सम्बल गांवों के समग्र विकास हेतु 300 करोड़ रुपये की योजना। जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 3629 स्वास्थ्य सहयोगिनियों की नियुक्ति। खैरवा समुदाय के कल्याण हेतु विशेष कार्य योजना। तेंदू पत्ता सहकारी समितियों के कर्ज एवं ब्याज माफ। मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के पुराने ऋण एवं ब्याज माफ। 5 हजार मछुआरों को नावें व जाल इत्यादि का वितरण।
- राजीव गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय को निर्माण कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये। ऋषभदेव, मानगढ़ धाम एवं बेणेश्वर धाम के विकास हेतु 5-5 करोड़ रुपये। बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाली, गनोड़ा से बेणेश्वर एवं लुहारिया से बेणेश्वर तक की सड़कों का विकास।

महिला एवं बाल विकास के लिए

- राजकीय उपक्रमों के निदेशक मंडलों में एक-तिहाई महिलाओं का मनोनयन। सामूहिक विवाह योजना में वधू को देय 4500 रुपये को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करना एवं आयोजकों को देय 1500 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति जोड़ा करना। स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार हेतु 10-10 हजार रुपये का अनुदान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मासिक मानदेय में 500 से 700 रुपये की वृद्धि। इनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु 100 करोड़ रुपये के विशेष कोष का गठन। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को 2-2 जोड़ी यूनिफोर्म का वितरण।
- पृथक बाल निदेशालय की स्थापना। 'शुभ लक्ष्मी योजना' की घोषणा। बालिकाओं के जन्म पर 2100 रुपये, 1 वर्ष की आयु होने पर 2100 रुपये, 5 वर्ष की आयु होने पर 3100 रुपये की राशि देय होगी।

अल्पसंख्यक वर्ग के लिए

- अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा। प्रारम्भिक अंशदान 200 करोड़ रुपये। अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों हेतु केन्द्र सरकार का मल्टी सैक्टोरल डेवलपमैंट प्रोग्राम प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10-10 करोड़ रुपये के विकास कार्य। जोधपुर में दस्तकार योजना। वक्फ बोर्ड हेतु 10 करोड़ रुपये। हज़ हाऊस हेतु 5 करोड़ रुपये।
- 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपये। 1500 कम्प्यूटर पैराटीचर्स एवं 1500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती। मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में 600 से 800 रुपये की बढ़ोतरी तथा बालिकाओं हेतु 'स्कूटी' योजना। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 नये आईटीआई। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के विकास खंडों में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक छात्रावास। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय।

वृद्धजन के लिए

- राजस्थान वृद्धाश्रम योजना की घोषणा। जिला मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयों पर वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु क्रमशः 1 करोड़ रुपये एवं 50 लाख रुपये तक का अनुदान। संचालन हेतु 2000 रुपये प्रतिमाह प्रति आवासी की दर से सहायता।
- वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त।

विशेष योग्यजन के लिए

- प्रदेश के 13 जिलों अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का संचालन। 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' की घोषणा। विशेष योग्यजन पेंशन योजना का सरलीकरण।

विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए

- देवनारायण योजना का पैकेज 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने की घोषणा।

किसानों के लिए

- समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद पर 100 रुपये के स्थान पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2013-14 में 15 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य। 1.50 लाख रुपये के फसली ऋण ब्याज मुक्त। किसानों के बकाया दीर्घकालीन ऋणों का चुकारा 31 दिसम्बर, 2013 तक करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट। राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना।
- 5 हजार डिग्गियों तथा 10 हजार फार्म पांड्स के निर्माण हेतु अनुदान के पेटे 225 करोड़ रुपये का प्रावधान। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान। उर्वरकों का अग्रिम भंडारण, यूरिया 3 लाख मैट्रिक टन, डीएपी 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन। बूंद-बूंद सिंचाई हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान। 10 हजार सोलर पम्प सैटों की स्थापना हेतु 280 करोड़ रुपये का अनुदान।
- कोटा, जोबनेर (जयपुर) एवं जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। भीलवाड़ा व भरतपुर में कृषि महाविद्यालय। लाडनूं में कृषि विषय में डिप्लोमा कोर्स हेतु संस्थान। कृषि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 1500 कृषि पर्यवेक्षकों तथा 300 सहायक कृषि अधिकारियों के पदों का सृजन।
- जयपुर में एग्री मार्केट इंटेलोजेन्स एंड बिजनेस प्रमोशन सैंटर की स्थापना। बीकानेर एवं जोधपुर में मेगा फूडपार्क। जैविक खेती को बढ़ावा। फल एवं सब्जियों का विक्रय मंडी में करने की बाध्यता समाप्त।
- चम्बल की बीहड़ भूमि को समतल कर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।

पशुपालकों के लिए

- मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना में उपलब्ध कराई जा रही औषधियों की संख्या 87 से बढ़ाकर 110 की जाएगी। राजस्थान वेटरनरी सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना। राजस्थान गौ सेवा आयोग को 1 करोड़ रुपये का अनुदान।
- 400 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाएंगे । 200 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में, 500 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में तथा 18 जिलों में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना' लागू की जाकर 2 रुपये प्रतिलीटर की दर से अनुदान का प्रावधान। विभिन्न जिला दुग्ध संघों में 500 बल्क मिल्क कूलरों की 40 करोड़ रुपये की लागत से व्यवस्था की जाएगी। घड़साना में 4 करोड़ रुपये की लागत से चिलिंग प्लांट की स्थापना। बाड़मेर जिले में 4 करोड़ रुपये की लागत से 25000 किलोग्राम प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध संयंत्र की स्थापना।

युवा एवं रोजगार के लिए

- बजट में शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विभागों में विभिन्न संवर्गों के 1 लाख 50 हजार से अधिक पदों का सृजन। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 3 लाख युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण। विभिन्न पारम्परिक एवं अन्य कार्यों में नियोजित युवक-युवतियों को रोजगार हेतु ऑन द जॉब ट्रेनिंग बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना। 15 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु रोजगार किट।10 हजार युवाओं को ड्राइविंग एवं मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण। 25 नये आईटीआई की स्थापना।

सैनिकों के लिए

- युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु कॉरपस फण्ड में 2 करोड़ रुपये का अंशदान।
- बहरोड़ में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण एवं चिड़ावा के सैनिक विश्राम गृह का विस्तार।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए

- स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में 17 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन एवं 3 हजार रुपये प्रतिमाह की चिकित्सा सहायता राशि देय है। इन सेनानियों की पेंशन राशि को बढाकर 20 हजार रुपये एवं चिकित्सा सहायता राशि को बढाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा।

आमजन के लिए

- बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूँ। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बीपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रतिकिलो की दर से चीनी। एपीएल परिवारों को 5 रुपये प्रतिकिलो की दर से आटा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 25 हजार वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। कैलास मानसरोवर यात्रा की सहायता राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।

अन्य विशेष घोषणाएं

- वर्ष 2012-13 में गठित 43 तहसीलों में नवीन उपखंड कार्यालयों की स्थापना। 5 नई तहसीलों का सृजन एवं 13 उप-तहसीलों का तहसीलों में क्रमोन्नयन। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु प्रत्येक जिले में 1-1 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों का निर्माण। निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये।
- प्लास्टिक कचरे के उपयोग हेतु प्लास्टिक मिश्रित डामर रोड का प्रायोगिक तौर पर निर्माण। 20 करोड़ रुपये का प्रावधान। 'आधार योजना' की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक तहसील व जिला मुख्यालय पर स्थाई नामांकन केन्द्रों की स्थापना। इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी ऑफ सर्विस बिल लाने का प्रस्ताव।

राजस्थान में नई जीवन रेखा तय करने वाला अब तक का सबसे बड़ा कदम

बाड़मेर में रिफाइनरी-कम-पेट्रोकैमिकल कॉम्पलेक्स

बीते 4 वर्षों में राजस्थान सरकार के प्रयासों तथा केन्द्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया। सरकार की दूरगामी सोच से प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में अनेक नये उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विश्वास है कि यह रिफाइनरी प्रदेश के विकास एवं खुशहाली की दिशा में युग परिवर्तन का कदम साबित होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी, माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली तथा उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके नेतृत्व एवं सहयोग से यह सपना साकार हुआ। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

–अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

- राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के बीच राज्य के बाड़मेर जिले में 9 एमएमटीपीए की अत्याधुनिक रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री श्रीमती पनबाका लक्ष्मी की उपस्थिति में 14 मार्च 2013 को जयपुर में राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के शासन सचिव श्री सुधांशु पंत तथा एचपीसीएल के निदेशक (रिफाइनरी) श्री के. मुरली ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- मंगला ऑयल फील्ड, बाड़मेर भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती हाइड्रोकार्बन क्षेत्र है। इस रिफाइनरी की स्थापना पर लगभग 37,230 करोड़ रुपये के भारी निवेश से 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उत्पादन 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगा। वर्ष 2016-17 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। इससे पेट्रोलियम के साथ ही टैक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एवं अन्य सेवा क्षेत्र के उद्योग भी पनपेंगे जिससे राजस्थान में खुशहाली आएगी।
- राजस्थान सरकार की अंश पूंजी में हिस्सेदारी। 15 वर्षों तक राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3,736 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।

भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम

• इन्दिरा आवास योजना (IAY) • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) • राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) • विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (MDMS) • जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना (JNNURM) • महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MNREGP) • सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (TSC) • समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (ICDS) • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) • राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) • सर्वशिक्षा अभियान (SSA) • संशोधित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (RAPDRP) • पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (BRGF) • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ

– अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं मै. प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर द्वारा मुद्रित • मार्च, 2013/ प्रतियां 4 लाख